आर टी आई स्पीड पोस्ट
अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/**NEW DELHI - 110011**
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/62/2013-14

7 फरवरी, 2013

श्रीयुत रजिस्ट्रार,
हाईकोर्ट नैनीताल,
नैनीताल
उत्तराखण्ड।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री राजेन्द्र कुमार छाबड़ा पुत्र स्व. हेमराज छाबड़ा निवासी वार्ड नं. 4, पंजाबी मोहल्ला दिनेशपुर जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड पिन सं. 263160 का दिनांक 1 फरवरी 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 7 फरवरी 2013 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने रू0 10/- का पोस्टल आर्डर सं. 12एफ 448572 संलग्न कर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर क्या कार्यवाही की जाएगी की जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु आपके कार्यालय से संबंधित है अत: इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। आप आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो इसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

O/C

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी /
उपराष्ट्रपति सेक्रेट्री
6 मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली

विषयः—सूचनां अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनां चाहनें हेतु।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि सूचनां अधिकार अधिनियम के तहत सूचनां उपलब्ध करानें की कृपा करें।

यह कि न्यायालय सत्र न्यायधीश जिला उधम सिहं नगर {उत्तराखण्ड} सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार आदि **सत्र परीक्षण संख्या–27/2000** धारा 307,506 i.p.c. थानां गदरपुर जिला उधम सिहं नगर उत्तराखण्ड **अपराध संख्या–440/99** सत्र न्यायालय में चले इस वाद में प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिया तद् उपरान्त प्रार्थी नें हाईकार्ट नैनीताल उत्तराखण्ड में **किमनल अपील संख्या 93/2005** दायर की तद् उपरान्त प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22/11/2012 को बाईज्जत बरी किया गया है।**

अभियोजन पक्ष नें सत्र न्यायालय की उपरोक्त पत्रावली में सन्लग्न सबूत को फाडा है। एवं फाडनें के बाद उसकी फर्जी फोटोस्टेट बना कर न्यायालय की इस पत्रावली में दाखिल कर न्यायालय को गुमराह किया है

1—अभियोजन पक्ष नें न्यायालय की पत्रावली में सन्लग्न **P.H.C** गदरपुर के असल मेडिकल {रीफर} पत्र **Ext ka 6** में अंकित समय **5.45 p.m** में से 5 के अंक वाले स्थान पर छेद बना कर 5 के अंक को फाडा है और न्यायालय की पत्रावली में सन्लग्न **Ext ka 6** में मात्र .45 रह जाने पर अभियोजन पक्ष नें **Ext ka 6** की **7.45 p.m** के समय की फर्जी फोटो स्टेट बना कर न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थनां पत्र 121 ख के साथ सन्लग्न कर दाखिल की और इन्हों नें सत्र न्यायालय को गुमराह कर दिया न्यायालय को धोखा देनें में और अपनें प्लान में कामयाब हो गये।

पत्रावली में दाखिल कर दी। ताकि न्यायालय की पत्रा वली में सलग्न Ext ka 6 में अंकित 5.45 p.m के समय को न्यायधीश के संज्ञान में लाया जा सके।

अतः–पूर्ण प्रमाणित है कि अभियोजन पक्ष नें न्यायालय की पत्रावली में सन्लग्न Ext ka 6 में अंकित समय 5.45 p.m में से 5 के अंक वाले वाले स्थान पर छेद बना कर इस Ext ka 6 की 7.45 p.m के समय की फर्जी बनायी फोटो स्टेट को न्यायालय की पत्रावली में दाखिल कर न्यायालय की अवमानना की है न्यायालय को धोखा दिया तथा न्यायालय का अपमांन करनें का अपराध किया है।

आप से अनुरोध है कि इस प्रकार अभियोजन पक्ष नें जो न्यायालय का अपमांन किया है न्यायालय को धोखा दिया है–तो न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के विरुद्ध क्या कार्य वाही की जायेगी और प्रार्थी को इस सम्बन्ध में क्या कार्य वाही करनीं चाहिये की सूचनां प्रषित करनें की कृपा करें।

अतः आप से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा चाहि गयी उपरोक्त सूचनां प्रेषित करनें की कृपा करें जिस्के लिये प्रार्थी नें आवेदन शुल्क {धारा 6{1}} के तहत ....10.... रू0 का पोस्टल आर्डर सं0 12F 448572 .... सन्लग्न कर दिया है।

प्रार्थी [signature]

दिनांक – 1/2/13

राजेन्द्र कुमार छाबडा पुत्र स्व0 हेमराज
निवासी–वार्ड न0 4 {पन्जाबी मोहल्ला}
दिनेश पुर जिला–उधम सिहं नगर
{उत्तराखण्ड}
पिन नम्बर–363160